मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी/3-4/94/3/एक　　　　　　भोपाल, दिनांक 10 जून, 1994.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति ।

—

अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित, संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए, इस विभाग के पूर्व में प्रसारित समस्त अनुदेशों को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब अनुकम्पा नियुक्ति निम्न निर्देशों के अन्तर्गत की जावेगी :-

(एक) यदि किसी शासकीय सेवक की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा अथवा उसकी वैध सन्तान (जिसमें सौतेला पुत्र/पुत्री भी शामिल है) को नौकरी दी जायेगी । अन्य किसी सदस्य या रिश्तेदार को नौकरी नहीं दी जायेगी ।

(दो) मृतक शासकीय सेवक के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा यह भी बन्धन नहीं होगा कि उस परिवार के अन्य सदस्य शासकीय सेवा में अथवा निजी सेवा में अथवा निजी व्यवसाय में पहले से न लगे हों । अनुकम्पा के आधार पर परिवार के एक से अधिक सदस्य को नौकरी नहीं दी जावेगी ।

(तीन) चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता का बन्धन शिथिल रहेगा ।

क्रमशः 2...

(3)



(चार) अनुकम्पा नियुक्ति देने ... ामों में दर्शाई अधिकतम आयु-सीमा का बन्धन ...

(पांच) यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य अवयस्क हो तो ऐसे अवयस्क सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता उसके वयस्क होने पर होगी और उसके आवेदन करने पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी ।

(छह) अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को उसी कार्यालय को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जहाँ दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था और संबंधित कार्यालय के सक्षम नियुक्तिकर्ता अधिकारी को आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर निर्णय लेना होगा । संबंधित कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रकरण नियुक्तिकर्ता अधि... के द्वारा विभागाध्यक्ष को भेजा जाए, जो विभाग में निकटत... अन्य स्थान पर रिक्त पद की जानकारी प्राप्त कर नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारी को, जिसके कार्यालय में रिक्त पद उपलब्ध हो, निर्देश देगा । अर्थात् ऐसी नियुक्ति देने के लिए संख्याधिक पद निर्मित करने की कार्यवाही नहीं की जायेगी । चूंकि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिवस की समयावधि में नियुक्ति देना अनिवार्य किया जा रहा है, अतएव पद उपलब्ध न होने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा । अनुकम्पा ... तृतीय श्रेणी के ही निम्नतर श्रेणी स्तर के अन्य पद, जैसे- पट..., स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वन रक्षक, प्रहरी, आरक्षक, सहायक शिक्षक आदि पर दी जा सकेगी तथा आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी ।

क्रमशः 3...

(सात) अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी (जैसा भी प्रकरण हो) के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो ।

(आठ) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए भरती पर प्रतिबन्ध संबंधी निर्देश लागू नहीं होंगे ।

(नौ) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय आश्रित परिवार के सदस्य को साधारण कागज पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसका मृतक शासकीय सेवक से संबंध, शासकीय सेवक का पूर्ण विवरण, मृत्यु तिथि, /स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना होगा ।

(दस) चिकित्सा आधार पर शासकीय सेवक को अयोग्य ठहराये जाने पर हुई सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आश्रित परिवार के एक सदस्य को होगी । 3.1.95 पात्रता समाप्त की गई ।

(ग्यारह) कार्यभारित/आकस्मिकता सेवा में कार्यरत कर्मचारी के दिवंगत होने पर उसके परिवार के सदस्य को भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी, परन्तु उसकी नियुक्ति कार्यभारित/आकस्मिकता निधि सेवा के अधीन निर्मित पदों पर ही हो सकेगी ।

(बारह) अनुकम्पा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के निम्नतम लिपिक वर्गीय पद अथवा समकक्ष वेतनमान के पद अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद पर की जा सकेगी । विशेष तकनीकी अर्हताधारी व्यक्ति के मामले में यदि निम्न श्रेणी लिपिक से ऊंचे वेतनमान के पद पर नियुक्ति चाही गई हो तो ऐसी नियुक्ति विभागाध्यक्ष के द्वारा की जायेगी । सामान्यतः कार्यपालिक पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जायेगी ।

(तेरह) यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु सेवा में वृद्धि के दौरान या पुनर्नियुक्ति की अवधि के दौरान होती है तो उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा नहीं मिलेगी ।

{चौदह} अनुकम्पा नियुक्ति के ये निर्देश राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू होंगे ।

{पन्द्रह} यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों का निराकरण भी इन्हीं निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

{सोलह} वर्तमान में लंबित प्रकरण एवं पूर्व में अस्वीकृत किए गए प्रकरण भी उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में निर्णीत/पुनर्विलोकित किए जा सकेंगे । चूँकि अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देश 1-11-1972 से प्रभावशील हैं, अतः पूर्व में अस्वीकृत प्रकरणों में पुनर्विलोकन उन्हीं प्रकरणों में किया जा सकेगा, जिनमें शासकीय सेवक की मृत्यु 1-11-1972 के पश्चात् हुई हो । पुनर्विलोकन का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ही होगा ।

{सत्रह} मृत शासकीय सेवक की विधवा का कोई वयस्क पुत्र या पुत्री उसकी देखभाल करने के लिए न हो और वह स्वयं भी शासकीय सेवा करने के लिए सक्षम न हो तो उसे अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे अन्य नजदीकी रिश्तेदार को नियुक्ति के लिए नामांकित कर सकेगी जो उसकी देखभाल कर सके । ऐसा नामांकन उसके द्वारा हलफनामें पर करना होगा ।

{अट्ठारह} अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव नियुक्त व्यक्ति को उसके गृह जिले में दी जाए ।

{उन्नीस} वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु समस्त लंबित आवेदन-पत्रों को संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण 30 सितम्बर, 1994 तक हो जाए ।

{बीस} निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर, अनुकम्पा के आधार पर, नियुक्त की गई दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का बन्धन नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय शासकीय सेवक के बच्चों की अनुकम्पा नियुक्ति के बाद उनकी आयु 40 वर्ष होने अथवा उनके द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से, इनमें से जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति नियमित की जायेगी ।

क्रमशः 5 .....

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए यदि किसी दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण न हो, किन्तु इस विभाग के दिनांक 18-09-73 के ज्ञापन क्रमांक 595/1083/1(3)/73 के परिशिष्ट में अंकित विशारद परीक्षा उत्तीर्ण हो और यदि वह इस ज्ञापन में विहित की गई अन्य शर्तें पूर्ण करती हो तो उसे निम्न श्रेणी लिपिक या अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति दी जाए ।

जिस स्वर्गीय शासकीय सेवक की विधवा ने वर्ष 1950 से पहले हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें भी शासकीय सेवा में निम्न श्रेणी लिपिक अथवा अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु विचार में लिया जाए, बशर्ते कि वे अनुकम्पा नियुक्ति के लिए इस ज्ञापन में विहित की गई अन्य शर्तें पूरी करती हो ।

चार) दिसम्बर-92 में हुए साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु, दंगे में यदि उनके परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो या स्थाई रूप से असमर्थ (Incapacitated) हो गया हो तो मृतक अथवा स्थाई रूप से असमर्थ शासकीय सेवकों की तरह उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के गृह जिले के कलेक्टर नोडल आफीसर होंगे । नोडल आफिसर पीड़ित परिवार से आवेदन-पत्र प्राप्त करेंगे एवं जिले में रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर, प्रकरण का स्वयं परीक्षण कर, नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित करायेंगे ।

उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आभा अस्थाना)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 6....

⑦



पृष्ठांकन क्रमांक सी/3-4/94/3/एक     भोपाल, दिनांक 10 जून, 199

प्रतिलिपि :-

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म०प्र०, जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, म०प्र०, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र०, इन्दौर,
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म०प्र०, भोपाल ।

---

2. राज्यपाल के सचिव, म०प्र० राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधानसभा सचिवालय, म०प्र०, भोपाल ।

---

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म०प्र०, भोपाल ।
4. रजिस्ट्रार, म०प्र० राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/
5. महाधिवक्ता, म०प्र०, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

---

9. मुख्यमंत्रीजी/उप मुख्यमंत्रीगणों /मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा- 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 10/6/94

(जे०एस० राय)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(दूरभाष क्र० 551672)

//एस. के.//
10-6-94